श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय

(इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय)

फाफामऊ, प्रयागराज 211 013

website : www.spmau.ac.in   Mobile : 9889005001   e-mail : spmcollege10@gmail.com

दिनांक : 11.03.2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

महाविद्यालय प्रांगण में कैंटीन खोलने हेतु अधोहस्ताक्षरी की ओर से दिनांक 23.03.2026 तक सायंकाल 4:00 बजे तक निविदा आमंत्रित की जाती है। आमंत्रित निविदाओं में से [L1] का चयन किया जायेगा। सभी निविदायें महाविद्यालय में बन्द लिफाफे में जमा होंगी। बिना कारण किसी भी समय निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का आत्यंतिक अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।

शर्तें :

1. कैंटीन की सभी चीजें गुणवत्तापरक एवं FSSAI से प्रमाणित होनी आवश्यक होगी।
2. महाविद्यालय प्राचार्य/प्रॉक्टर द्वारा समय-समय पर खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जाँच की जायेगी तथा कैंटीन की सुरक्षा एवं किसी प्रकार की अव्यवस्था के सम्बन्ध में प्रॉक्टर के द्वारा निगरानी की जायेगी।
3. कैंटीन के लिए कम से कम 3 वर्ष का कैंटीन चलाने का अनुभव होना आवश्यक होगा।
4. [L1] नियमों के तहत निविदा दी जायेगी।
5. मोबाइल कैंटीन हेतु अस्थायी स्थान प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक प्रदान किया जायेगा।
6. कैंटीन के लिए संविदा/निविदा के माध्यम से उपयुक्त वेन्डर का चयन किया जायेगा।
7. कैंटीन के पास FSSAI का प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। चयनित वेंडर के पास बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू आदि प्रतिबंधित रहेंगी, साथ ही किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ प्रतिबंधित रहेंगी। चयनित वेंडर की जिम्मेदारी होगी कि कैंटीन स्थल पर किसी भी प्रकार की गंदगी (पॉलीथीन, फाइबर ग्लास, प्लॉट इत्यादि) न रहे। एक बड़े डस्टबिन में सभी प्रकार के गारबेज रखे जायेंगे एवं सायं 5:00 बजे कैंटीन बंद करने के उपरान्त, यह वेन्डर की जिम्मेदारी होगी कि वह सही जगह पर निस्तारित किया जाये। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित/निर्देशित स्वच्छता के मानकों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
8. कैंटीन में अनुमोदित वस्तुओं की सूची तथा दर बोर्ड पर प्रदर्शित करना होगा।
9. संस्था को प्रथमतः एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा।
10. संस्थान द्वारा फर्म की कार्य क्षमता, गुणवत्ता एवं संतोषजनक कार्य को देखते हुए अनुबंध की अवधि को आपसी सहमति से अधिकतम 3 वर्ष तक (एक बार में एक वर्ष) के लिए बढ़ाया जा सकता है।
11. कार्य परिसर में खाद्य सामग्री बनाने हेतु संस्थान द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। भोजन बनाने के उपयोग में लिए जाने वाले बर्तन, ईंधन आदि की व्यवस्था निविदाकर्ता को स्वयं करनी होगी। खाद्य सामग्री बनाने में व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का उपयोग करना होगा।
12. Licence Fee में दर्शाये गये विवरणानुसार कैंटीन संचालक को परिसर में मासिक दरों पर स्थान को उपलब्ध कराया जायेगा जिसकी लाइसेंस फीस रुपये 1500.00 प्रतिमाह रहेगी, जिसमें पानी की दर सम्मिलित होगी।
13. प्लास्टिक के कप के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
14. सफल ठेकेदार/एजेंसी/फर्म को धरोहर राशि (Performance Security) के रूप में वार्षिक कुल रुपये 5000.00 महाविद्यालय कार्यालय में जमा करनी होगी। यह प्राचार्य, एस.पी.एम. राजकीय महाविद्यालय के नाम पर डी.डी. के रूप में जमा करानी होगी। सफलता पूर्ण कार्यकाल पूरा होने पर यह राशि वापस कर दी जायेगी। इस संबंध में अवधायक द्वारा No Dues प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। किसी भी तरह के नुकसान/तोड़-फोड़ होने की दशा में उक्त राशि में से कटौती भी की जायेगी।

15. संस्थान निविदा फर्म को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये जिम्मेदार नहीं होगा।
16. कैंटीन के कर्मचारियों द्वारा असावधानी के कारण हुई तोड़-फोड़ या संस्थान की संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की दशा में अनुबंधित फर्म क्षतिपूर्ति हेतु उत्तरदायी रहेगा।
17. Agency/अनुबंधित फर्म द्वारा कर्मचारियों के बारे में जानकारी देते समय उनके फोटोग्राफ के साथ निम्न जानकारी प्रस्तुत करनी होगी। 1. नाम 2. पिता का नाम 3. जन्मतिथि 4. वर्तमान पता 5. स्थायी पता 6. शैक्षणिक योग्यता 7. नमूना हस्ताक्षर 8. आधार कार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि। उपरोक्त जानकारी और फोटोग्राफ एजेंसी/अनुबंधित/फर्म/निविदाकार के अधिकारिक व्यक्ति द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
18. किसी भी परिस्थिति में कैंटीन के समय की समाप्ति के बाद ठेकेदार का कोई भी कर्मचारी संस्थान/कैंटीन परिसर के अंदर नहीं रुकेगा। संस्थान के बंद होने की स्थिति में कैंटीन को भली-भाँति बंद किया जाना होगा। ठेकेदार को अनुबंध से अधिक जगह नहीं दी जायेगी। इस अनुबंध को ठेकेदार तथा उसके कर्मचारियों को मान्य करना होगा। ठेकेदार को आवंटित किये स्थान का प्राचार्य/प्रॉक्टर द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।
19. सफल निविदाकर्ता को प्राचार्य, एस.पी.एम. राजकीय महाविद्यालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर सुरक्षा निधि को जब्त किया जा सकता है।
20. दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष निविदा समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 01 माह के पूर्व सूचना देनी होगी ।
21. खाद्य सामग्री सन्तोषजनक न होने या निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करने की स्थिति में निविदाकर्ता का अनुबंध प्राचार्य, एस.पी.एम. राजकीय महाविद्यालय द्वारा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जब्त की जायेगी।
22. यदि कैंटीरिंग फर्म द्वारा प्रदाय की गई खाद्य सामग्री को खाए जाने के पश्चात फूड पॉइजनिंग होती है तो इसका समस्त उत्तरदायित्व अनुबंधित फर्म का होगा ।
23. न्यायालयीय विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार केवल प्रयागराज न्यायालय होगा ।
24. कैंटीन में अनाधिकृत लोगों को प्रवेश वर्जित रहेगा ।
25. निविदा स्वीकृत होने की दशा में राशि रुपये 500.00 (पाँच सौ मात्र) के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध निष्पादित करना होगा ।
26. बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1996 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराना वर्जित है ।
27. कैंटीन संचालन, खाने की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर किसी भी समय निविदा समाप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य, एस.पी.एम. राजकीय महाविद्यालय को होगा।
28. होटल, हॉस्टल मेस/गेस्ट हाउस/कैंटीन या किसी भी प्रकार का फूड हाउस को चलाने का कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए। निम्नलिखित दस्तावेजों द्वारा समर्थित किया जाए –
    i. प्रारंभिक पंजीकरण की तिथि दर्शाते हुए दुकान और प्रतिष्ठान प्रमाण पत्र।
29. अनुबंधित फर्म प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) में स्थित होना चाहिए ।

नोट : यह निविदा महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी।

प्रो. (शुभा श्रीवास्तव)
प्राचार्य